

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 723 / 2016 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एलकोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड,  
(नया नाम-मैसर्स इकोलेन इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर प्रा० लि०)  
2, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फेज-II, बेंगलोर, कर्नाटक.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय दिनांक : 17 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 388/अप्रा-1/एनआरडी/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2009-10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 13.05.2010 को किया जाकर व्यवहारी के विरुद्ध यह अभियोग बनाया गया कि उनके द्वारा विक्रय किये गये माल "डबल रेडियो युनिट" पर 12.5/14 प्रतिशत की कर दर प्रभावी थी परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त माल पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर संग्रहित किया गया है अतः समस्त विक्रय पर अन्तर कर आरोपित किया गया एवं इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए कर की दुगुनी राशि की शास्ति भी आरोपित करते हुए दिनांक 13.10.2011 को अधिनियम की धारा 26 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसे दिनांक 23.01.2012 को संशोधित करते हुए आदेश में अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर धारा 25 में आदेश पारित किया जाना अंकित किया गया।

लगातार.....2

दिनांक 03.02.2012 को प्रत्यर्थी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी अवधि का कर निर्धारण धारा 23 के तहत पारित करते हुए डबल रेडियो युनिट की बिक्री पर 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था। प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2011 के आदेश को अपील स्तर पर विवादित किया जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.12.2012 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने दिनांक 13.12.2013 को निर्णय कर यह अवधारित किया गया कि चूंकि इस प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत आदेश पारित किया गया है जो अभियोग बनाने की अवधि गुजरने के बाद किये जाने से वेट अधिनियम की धारा 25(3) व स्पष्टीकरण अनुसार दिनांक 13.12.2010 को अवधि पार हो चुका था, इस आधार पर अपीलीय आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गयी थी। राजस्थान कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2013 के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सेल्स टैक्स रिवीजन नं० 137/2014 दायर की गयी थी, इसी दौरान दिनांक 07.08.2014 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः उसी प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत नोटिस जारी किया गया एवं डबल रेडियो युनिट की बिक्री पर धारा 23 के तहत पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये स्व-कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.02.2012 को रि-ओपन करते हुए पुनः आदेश किये जाने का प्रस्ताव किया गया, उस नोटिस के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटिशन संख्या 9378/2014 दायर की गयी, जिसमें धारा 25 के तहत आरोपित अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति को राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपास्त किये जाने के उपरान्त भी उसी सर्वे एवं बिक्री पर धारा 26 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने को चुनौती दी गयी।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.9.2014 को व्यवहारी की रिट याचिका को निस्तारित करते हुए अपीलार्थी एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि :-

"It is a case where notice cannot be said to be per se illegal so as to cause interference under Article 226 of the Consitution of India. The order passed by the Tax Board was in reference to notice under section 25 of the Act and order of Tax Board therein was not on merit but due to delay in assessment.




लगातार.....3

In the background aforesaid, while not interfering in the notice under section 26 of the Act, Petitioner Company is given liberty to file reply to the notice within a period of two weeks from today. The period for filling of reply is accordingly extended. The petitioner would be at liberty to raise all objections which includes maintainability of notice under section 26 of the Act on the ground that a case of escaped assessment is not made out. In case of objection, the assessing authority is directed to consider as to whether a case of escaped assessment is made out under section 26 of the Act of 2003 or not. If it is found that the matter is not falling in the four corners of section 26 of the Act, obviously, notice would be discharged."

4. इस तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहारी को जारी किये गये नोटिस के सम्बन्ध में यह निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये गये थे कि वे इस बिन्दु पर पहले यह निर्णय करें कि क्या व्यवहारी के विरुद्ध प्रस्तावित प्रकरण वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत आच्छादित किये जाने योग्य है अथवा नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के बाद दिनांक 07.10.2014 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें व्यवहारी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, तब कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्न निर्णय किया गया -

".....अपीलार्थी का इस संबंध में तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.09.2014 से धारा 26 के लागू होने के बिन्दु पर आपति पेश करने हेतु 14 दिवस का समय प्रदान किया गया। उक्त समयावधि दिनांक 02.10.2014 को समाप्त होती है। दिनांक 02.10.2014 को गांधी जयंती, 03.10.2014 को दशहरा, दिनांक 04.10.2014/05.10.2014 को शनिवार एवं रविवार तथा दिनांक 06.10.2014 को ईदुल जुहा का राजपत्रित अवकाश था। इस कारण उक्त राजपत्रित अवकाशों के पश्चात् प्रथम कार्य दिवस दिनांक 07.10.2014 का था। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 10 जो कि इस प्रकार है का उल्लेख किया गया है :-  
"Where by any Central Act or regulation made after the commencement of this Act, any act or proceeding is directed to allowed to be done or taken in any court or office on a certain day or within a prescribed period, then if the court or office closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in dum due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court of office is open." उक्तानुसार दिनांक 07.10.2014 को कार्यदिवस की समाप्ति तक

लगातार.....4

कभी भी अपीलार्थी अपना पक्ष/आपति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रस्तुत कर सकता था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.2014 को प्रातः 10.35 पर राजस्थान हाईकोर्ट स्थिति डाकघर से उक्त आदेश जरिये रजिस्टर्ड डाक रवाना कर दिया था। जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 53 पर उपलब्ध रजिस्टर्ड पत्र की बुकिंग स्लीप से होती है। रिकॉर्ड पत्रावली से यह परिलक्षित है कि दिनांक 19.09.2014 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की प्रति प्राप्त होने तक की कार्यवाही स्थगित की गई थी और दिनांक 07.10.2014 को सीधे ही आदेश पारित कर पत्रावली पर रखा गया। दिनांक 19.09.2014 से दिनांक 07.10.2014 तक की कोई कार्यवाही आदेश पत्राकों पर अंकित नहीं। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के सुसंगत अंश जो कि इस प्रकार है :- **Petitioner Company is given liberty to file reply to the notice within a period of two weeks from today. The period for filling of reply is accordingly extended.** The petitioner would be at liberty to raise all objections which includes maintainability of notice under section 26 of the Act on the ground that a case of escaped assessment is not made out. In case of objection, the assessing authority is directed to consider as to whether a case of escaped assessment is made out under section 26 of the Act of 2003 or not. If it is found that the matter is not falling in the four corners of section 26 of the Act, obviously, notice would be discharged. के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वह धारा 26 की प्रायोजनीयता (applicability) के बिन्दु पर अपीलार्थी को आपति/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु माननीय न्यायालय की मंशा के अनुसार निर्धारित समय प्रदान करता, नियत अवधि में आपति प्राप्त होने पर धारा 26 की प्रायोजनीयता (applicability) विनिश्चित करता। यदि प्रकरण धारा 26 की परिसीमा में आता तो गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किया जाता। किन्तु रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित हो जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2014 से दिनांक 07.10.2014 तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और सीधे ही दिनांक 07.10.2014 को कर निर्धारण आदेश पारित कर उसी दिन प्रातः 10.35 पर ही आदेश डिस्पेच कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा रवाना कर दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में धारा 23 एवं 26 को उल्लेखित कर प्रकरण का धारा 26 से आच्छादित होना निर्धारित किया गया है। किन्तु इस अवधि के लिये समान बिन्दु एवं उसी पण्यवृत्त पर अतिरिक्त कर आरोपण के लिये धारा 25 के तहत पारित आदेश दिनांक 13.10.2011 का कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि डीआरयू की बिक्री पर कर दर 4 प्रतिशत होगी अथवा 12.5/14 प्रतिशत। नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 23 के

तहत आदेश पारित कर इस वस्तु को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य निर्धारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी वस्तु को और आलोच्य अवधि के इसी विक्रय पर धारा 25 के तहत पूर्व में करारोपण किया जा चुका है। उक्त आदेश दिनांक 13.10.2011 एवं इसी के अनुक्रम में पारित अपील आदेश दिनांक 26.12.2012 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निर्णय दिनांक 13.12.2013 से अपास्त कर दिया गया है तथा विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध एसटीआर दायर की गई है जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में आलोच्य अवधि की उसी पण्यावृत पर धारा 26 के तहत करारोपण किये जाने की उपयुक्तता (applicability) का विनिश्चयन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले किया जाना चाहिये था, तत्पश्चात् गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया जाना था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ऐसा करने में असफल रहे हैं जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2014 की मंशा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2014 को अपास्त करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपीलार्थी को धारा 26 की प्रायोजनीयता (applicability) के बिन्दु पर अपनी आपति/अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करे। प्रथमतः उन आपतियों को निस्तारण करते हुये प्रकरण में धारा 26 की उपयुक्तता (applicability) का विनिश्चयन करके तथा तत्पश्चात् गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त आपतियों सहित अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 15.12.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।”

5. इस तरह अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि व्यवहारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था, अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सर्वप्रथम कर निर्धारण अधिकारी यह विनिश्चयन करें कि यह प्रकरण धारा 26 के तहत पुनः खोलने योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि इसी प्रकरण में पूर्व में धारा 25 के तहत पारित किये गये आदेश को राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए केवल इस बिन्दु पर विस्तृत आदेश करने के निर्देश दिये गये एवं यह भी अंकित किया गया कि इस विनिश्चयन के पश्चात् गुणावगुण पर भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने




लगातार.....6

के पश्चात् आदेश पारित किया जावे। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वेट अधिनियम की धारा 26 की applicability पर विनिश्चय करने का निर्णय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, जिसे किया जाना न्यायिक निर्णय की पालना में विधिक रूप से अनिवार्य था। चूंकि इस प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये जाने मात्र के लिये ही प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जिसे भी अब ढाई वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार धारा 26 की applicability के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अतिशीघ्र पुनः आदेश पारित करें।

6. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

( मदनलाल मालवीय )  
सदस्य

( कें. एल. जैन )  
सदस्य